

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सुधांशु राज और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2023 की आपराधिक विविध सं. 62421)

[के साथ 2023 की आपराधिक विविध सं. 61590; 2023 की आपराधिक विविध सं. 63317; 2023 की आपराधिक विविध सं. 63754; 2023 की आपराधिक विविध सं. 65356; 2023 की आपराधिक विविध सं. 70436]

21 मार्च 2024

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

विचार के लिए मुद्दा

क्या फर्जी कंपनियों के निर्माण, छद्म नाम से कार्य करने, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग, तथा फर्जी बैंक खातों और ऑनलाइन प्रलोभन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये के धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण से संबंधित साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट में समन्वित संलिप्तता के आरोपी याचिकाकर्ताओं को जमानत दी जा सकती है।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 439 – साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में जमानत – गंभीरता, सार्वजनिक प्रभाव और प्रथम दृष्टया मिलीभगत के आधार पर अस्वीकृति –

यह माना गया कि, जहां आरोपी व्यक्ति पूरे भारत में साइबर धोखाधड़ी में लगे एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे, जो जनता को धोखा देने के लिए फर्जी कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे, जमानत देने से इनकार करना सही था। याचिकाकर्ताओं को इकबालिया बयानों, मोबाइल ट्रैकिंग और आपत्तिजनक लेखों की जब्ती के माध्यम से फंसाया गया था। कैप बॉटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के आईसीआईसीआई खातों का उपयोग करके

करोड़ों की राशि का लेन-देन किया गया था। साक्ष्यों से याचिकाकर्ताओं के बीच सक्रिय भागीदारी, योजना और भूमिका वितरण का पता चला। [पैरा 3-5, 13-14, 18-19]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 406, 419, 420, 467, 120बी – धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात – प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई –

प्रथम दृष्टया सामग्री से पता चला है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने फर्जी कंपनी खाते खोलने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और निदेशकों का रूप धारण किया। याचिकाकर्ता बैंक खाता बनाने, सिम कार्ड खरीदने और फर्जी "वर्क-फ्रॉम-होम" साइबर घोटालों से प्राप्त धन को वैध बनाने में शामिल थे। [पैरा 3, 13-14]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – धारा 66(सी) और 66(डी) – पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी – साइबर अपराध सिंडिकेट में प्रयोज्यता –

माना गया कि व्हाट्सएप/टेलीग्राम के माध्यम से प्रतिरूपण और प्रलोभन से जुड़े साइबर अपराध की प्रकृति सीधे आईटी अधिनियम की धारा 66 (सी) और 66 (डी) के तहत प्रावधानों को आकर्षित करती है। जांच के दौरान डिवाइस, जाली दस्तावेज और अकाउंट एक्सेस क्रेडेंशियल जब्त किए गए। [पैरा 3, 13-14]

आर्थिक अपराध – जमानत के लिए विचार – वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा –

माना गया कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी है जिसके लिए सख्त जमानत मानकों की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ताओं के आचरण में तकनीक, समन्वय और सीमा पार पहुंच का उपयोग करते हुए एक पूर्व-नियोजित और परिष्कृत धोखाधड़ी दिखाई देती है। न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम प्रवर्तन निदेशालय , आपराधिक अपील संख्या 3593/2023 और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों पर भरोसा किया। [पैरा 6, 15-16]

आपराधिक प्रक्रिया – चिकित्सा आधार, विकलांगता और देरी – साइबर धोखाधड़ी के मामलों में सार्वजनिक हित को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त नहीं है –

न्यायालय ने कहा कि गंभीर साइबर धोखाधड़ी के मामलों में याचिकाकर्ताओं की चिकित्सा स्थिति, विकलांगता या सामाजिक पृष्ठभूमि की दलीलों को व्यापक जनहित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। आरोपी एक सुनियोजित और दूरगामी धोखाधड़ी का हिस्सा थे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचा। [पैरा 8-12, 16]

न्याय दृष्टान्त

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, सीआर. अपील संख्या 3593/2023 – पर भरोसा किया गया; वाईएस जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई, (2013) 7 एससीसी 439 – इसके बाद; निम्मगड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई, (2013) 7 एससीसी 466 - अनुसरण किया गया; गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2015) 16 एससीसी 1 – लागू; गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतमलजी पोरवाल, (1987) 2 एससीसी 364 - उद्धृत

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

साइबर धोखाधड़ी; आर्थिक अपराध; शेल कंपनी; फर्जी सीए; जमानत अस्वीकृति; कैप बॉटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड; ऑनलाइन घोटाला; सिम कार्ड धोखाधड़ी; घर से काम करने का घोटाला; डिजिटल बैंकिंग हेरफेर; मनी लॉन्ड्रिंग; संगठित साइबर अपराध

प्रकरण से उत्पन्न

आर्थिक अपराध पीएस मामला संख्या 10/2023 धारा 406, 419, 420, 467, 120 बी आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (सी) (डी) के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है, जो विद्वान एसीजेएम-1, पटना की अदालत में लंबित है

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2023 की आपराधिक विविध सं. 62421 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: सुश्री रेणु कुमारी, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता;
श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 61590 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अमित आनंद, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता;
श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 63317 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: सुश्री रेणु कुमारी, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता;
श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 63754 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री देवेंद्र कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अलेक्जेंडर अशोक,
अधिवक्ता; श्री राय रमेश प्रसाद, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री डॉ. अजीत कुमार, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता;
श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 65356 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री राकेश मोहन सिंह, अधिवक्ता,

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री जैनुल आबेदीन, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 70436 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री रवि रंजन कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री विश्वनाथ प्र. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

साइबर धोखाधड़ी; आर्थिक अपराध; शेल कंपनी; फर्जी सीए; जमानत अस्वीकृति; कैप बॉटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड; ऑनलाइन घोटाला; सिम कार्ड धोखाधड़ी; घर से काम करने का घोटाला; डिजिटल बैंकिंग हेरफेर; मनी लॉन्ड्रिंग; संगठित साइबर अपराध

प्रकरण से उत्पन्न

आर्थिक अपराध पीएस मामला संख्या 10/2023 धारा 406, 419, 420, 467, 120 बी आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (सी) (डी) के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है, जो विद्वान एसीजेएम-1, पटना की अदालत में लंबित है

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2023 की आपराधिक विविध सं. 62421 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: सुश्री रेणु कुमारी, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता; श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 61590 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अमित आनंद, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता; श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 63317 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: सुश्री रेणु कुमारी, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता; श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 63754 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री देवेंद्र कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अलेक्जेंडर अशोक, अधिवक्ता; श्री राय रमेश प्रसाद, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री डॉ. अजीत कुमार, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय आनंद, अधिवक्ता; श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 65356 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री राकेश मोहन सिंह, अधिवक्ता,

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री जैनुल आबेदीन, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 70436 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री रवि रंजन कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री विश्वनाथ प्र. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की आपराधिक विविध सं. 62421

थाना कांड सं.- 10 वर्ष- 2023 थाना- आर्थिक अपराध, बिहार जिला- पटना से उद्भूत

=====

सुधांशु राज, पुरुष, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता- उमा शंकर सिंह, निवासी- मोहल्ला-
आर्य समाज रोड, भवानीपुर जीरत, सिमरान होटल के पास, थाना-छितौनी, जिला-पूर्वी
चंपारण

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

- 1. बिहार राज्य
- 2. निदेशक आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना

.....विपरीत पक्ष/ओं

=====

के साथ

2023 की आपराधिक विविध सं. 61590

थाना कांड सं.- 10 वर्ष- 2023 थाना- आर्थिक अपराध, बिहार जिला- पटना से उद्भूत

=====

प्रकाश चंद्र सिंह उर्फ प्रकाश चंद सिंह, पुरुष, उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता- चंद्र शेखर
सिंह, सी/ओ सुनील कुमार, निवासी- गाँव- जगत नारायण रोड, उषा लेन, थाना-
कदमकुआं, जिला- पटना,

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

- 1. बिहार राज्य
- 2. आर्थिक अपराध इकाई

.....विपरीत पक्ष/ओं

=====

के साथ

2023 की आपराधिक विविध सं. 63317

थाना कांड सं.- 10 वर्ष- 2023 थाना- आर्थिक अपराध, बिहार जिला- पटना से उद्भूत

=====

मानस कुमार उर्फ मानस कुमार, पुरुष, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता- संजय प्रसाद सिंह, निवासी- गाँव- भुसिया, थाना- राजौन, जिला- बांका

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निदेशक आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना

.....विपरीत पक्ष/ओं

=====

के साथ

2023 की आपराधिक विविध सं. 63754

थाना कांड सं.- 10 वर्ष- 2023 थाना- आर्थिक अपराध, बिहार जिला- पटना से उद्भूत

=====

विनीत कुमार, आयु लगभग 37 वर्ष, लिंग- पुरुष, पिता- स्वर्गीय शिव चंद्र राय, निवासी- मोहल्ला- यादव चौक, नयातोला, हाजीपुर, थाना- टाउन, जिला-वैशाली

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. अपने अधीक्षक, बिहार के माध्यम से आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना
3. पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार

.....विपरीत पक्ष/ओं

=====

के साथ

2023 की आपराधिक विविध सं. 65356

थाना कांड सं.- 10 वर्ष- 2023 थाना- आर्थिक अपराध, बिहार जिला- पटना से उद्भूत

=====

सूरज कुमार सिंह, पुरुष, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता- सुरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह, निवासी- गाय बाजार, माहेश्वरी चौक, एस.बी.आई. बैंक, सोनपुर, पोस्ट ऑफिस- सोनपुर, थाना- सोनपुर, जिला- सारण, (बिहार)- 841101

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. आर्थिक अपराध विभाग, बिहार, पटना

.....विपरीत पक्ष/ओं

=====

के साथ

2023 की आपराधिक विविध सं. 70436

थाना कांड सं.- 10 वर्ष- 2023 थाना- आर्थिक अपराध, बिहार जिला- पटना से उद्भूत

=====

आनंद कुमार, आयु लगभग 25 वर्ष, लिंग- पुरुष, पिता- बिमल कुमार वर्मा, निवासी- गाँव- रामपुर नागवान, थाना- पालीगंज, जिला- पटना

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

.....विपरीत पक्ष/ओं

=====

(2023 की आपराधिक विविध सं. 62421 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: सुश्री रेणु कुमारी, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विजय आनंद, अधिवक्ता

श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 61590 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अमित आनंद, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विजय आनंद, अधिवक्ता

श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 63317 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: सुश्री रेणु कुमारी, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विजय आनंद, अधिवक्ता

श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 63754 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री देवेंद्र कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अलेक्जेंडर अशोक, अधिवक्ता

श्री राय रमेश प्रसाद, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री डॉ. अजीत कुमार, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विजय आनंद, अधिवक्ता

श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 65356 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री राकेश मोहन सिंह, अधिवक्ता,

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री जैनुल आबेदीन, अधिवक्ता

ई.ओ.यू. के लिए: श्री वी.एन. प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक विविध सं. 70436 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री रवि रंजन कुमार, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष/ओं के लिए: श्री विश्वनाथ प्र. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

केएवी आदेश

8 21-03-2024 दोनों पक्षों को सुना।

2. चूंकि सभी छह मामले एक ही थाना से उत्पन्न हो रहे हैं, यानि आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या -10/2023 और उनकी सुनवाई और निपटान एक साथ किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता आर्थिक अपराध थाना कांड सं. 10/2023 के संबंध में हिरासत में हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 419, 420, 467, 120(बी) और सूचना प्रौद्योगिकी

अधिनियम, 2000 की धाराओं 66(सी)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है, जो विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, पटना की अदालत में लंबित है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि सूचक पुलिस निरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई है, जिसने आरोप लगाया है कि साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर आम जनता से साइबर धोखाधड़ी की कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और पूरे देश से जनता से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा व्हाट्सएप/टेलीग्राम मैसेंजर के माध्यम से ऑनलाइन काम के नाम पर प्रलोभन देकर और अधिक आय अर्जित करके धोखाधड़ी करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। पूछताछ में पता चला कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप/टेलीग्राम मैसेंजर के माध्यम से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के खाता संख्या 334105500548 में पैसा जमा करने को कह रहे हैं तथा घर बैठे काम करने का लालच दे रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई दिनांक 22.05.2023 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सत्यापन हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, कदमकुआं, पटना की ओर गयी, जिसमें पता चला कि उक्त खाता कैप बॉटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चालू खाता था तथा यह भी पाया गया कि प्रकाश चन्द्र सिंह एवं अजय कुमार सिंह उक्त कम्पनी के कथित निदेशक हैं तथा उक्त बैंक खाता उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। बैंक प्रबंधक ने खुलासा किया कि उक्त बैंक खाता खोलने के समय, आरोपी व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने खुद को उक्त कंपनी का बैंक निदेशक और सीए बताया। सह-आरोपियों द्वारा कुल पांच खाते खोलने के लिए कहा गया, जिसमें से केवल दो खाते खोले गए, खाता संख्या 334105500548 दिनांक 05.05.2023 और खाता संख्या 334105500544 दिनांक 07.05.2023। इसके बाद बैंक प्रबंधक ने उक्त दोनों खातों में डेबिट पर रोक लगा दी, जिसके बाद प्रकाश चंद्र सिंह और सुधांशु राज ने खातों पर रोक हटाने के लिए बैंक से संपर्क किया और दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद सुधांशु राज ने खुलासा किया कि वह अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पंजीकरण और बैंक खाते खोलने के

काम में लगे हुए हैं। सह-अभियुक्तों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अन्य सह-अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विनीत को हाजीपुर में पाया गया तथा दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों ने खुलासा किया कि खाते सूरज के निर्देश पर खोले गए थे तथा उक्त खातों से संबंधित सारी जानकारी सूरज के पास है, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल, दस्तावेज, लैपटॉप, नकदी जब्त की गई और हाजीपुर के साथ-साथ यादव लॉज, चांदमारी रोड, पटना स्थित सुधांशु राज के किराए के मकान से जब्ती सूची तैयार की गई और उसके बाद सभी आरोपियों को जब्त सामानों के साथ आर्थिक कार्यालय इकाई कार्यालय, पटना के समक्ष लाया गया।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा आर्थिक अपराध इकाई के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और विद्वान अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ईओयू द्वारा दायर जवाबी हलफनामों के माध्यम से आगे बताया कि यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक गंभीर अपराध है, जहां निर्दोष लोगों को इन अपराधियों का शिकार बनाया जाता है और आरोपी व्यक्ति इस वर्तमान मामले में मुख्य अपराधी हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा खोली गई फर्जी कंपनियों का उपयोग अपराध करने और स्थानीय लोगों से करोड़ों रुपये लूटने के लिए किया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कैपबोटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारत के विभिन्न राज्यों में कई शिकायतें की गई हैं और आरोपी व्यक्ति धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं और आरोप-पत्र से यह स्पष्ट है कि बैंक खाते का उपयोग निर्दोष जनता से लिए गए धन का लेन-देन करने में किया गया था।

6. ईओयू के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (सीआर. अपील संख्या 3593/2023) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा है कि-

“यह सामान्य बात है कि जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय अदालत को जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी, अदालत को आरोप की प्रकृति, उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्यों की प्रकृति, कथित अपराधों के लिए निर्धारित दंड की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित आदि को ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि, जमानत देने या अस्वीकार करने के दौरान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अस्थायी प्रकृति के होंगे, फिर भी न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करे, जो विशेष रूप से आर्थिक अपराधों से निपटने में विवेक के प्रयोग को प्रदर्शित करेगा।”

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

8. अभियुक्त सुधांशु राज और मानस कुमार उर्फ मानस कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों अभियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक कुमार के कार्यालय में प्रशिक्षु हैं और इंटरनशिप कर रहे थे और इंटरनशिप के दौरान वे उन्हें सौंपे गए कार्य के अनुसार काम कर रहे थे और अभियुक्तों से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सुधांशु राज गंभीर रोग से पीड़ित हैं और गंभीर चिकित्सा समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें निरंतर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है और उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण जमानत आवेदन स्वीकार किया

जाना चाहिए और दोनों याचिकाकर्ता क्रमशः 23.05.2023 और 24.05.2023 से हिरासत में हैं।

9. याचिकाकर्ता प्रकाश चंद्र सिंह उर्फ प्रकाश चंद्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वह वृद्ध व्यक्ति हैं और उन्हें कथित घटना से कोई सरोकार नहीं है, वह उक्त साइबर अपराध में भी शामिल नहीं हैं, वह 12 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका नाम तब सामने आया जब अन्य सह-आरोपियों ने धोखाधड़ी से याचिकाकर्ता के दस्तावेजों को "जय माता दी शांति समिति" के पंजीकरण के लिए ले लिया, जहां वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और याचिकाकर्ता के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

10. याचिकाकर्ता विनीत कुमार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष हैं और उस स्थान पर मौजूद नहीं थे जहाँ अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें केवल गुप्त उद्देश्यों से पकड़ा गया था और सह-अभियुक्तों द्वारा की गई कथित ऑनलाइन धोखाधड़ी से उनका कोई लेना-देना या संबंध नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।

11. याचिकाकर्ता सूरज कुमार सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है और याचिकाकर्ता के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और यह याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने के लिए ईओयू की मनगढ़ंत कहानी है। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक कुमार पांडे के कार्यालय में काम कर रहे थे और याचिकाकर्ता 60% प्रतिशत लोको-मोटर विकलांगता से पीड़ित है और दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर है।

12. याचिकाकर्ता आनंद कुमार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है और उसे इस वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और याचिकाकर्ता से किसी भी सचेत बरामदगी के बिना केवल संदेह के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है और

जब्तूी सूची में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे बाद में पुलिस अधिकारियों ने इकबालिया बयान में बदल दिया। याचिकाकर्ता 24.05.2023 से हिरासत में है।

13. उपरोक्त सभी मामलों में केस डायरी, एफआईआर, जब्तूी सूची, दायर प्रति शपथपत्र और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध का है, जहां लोगों के एक समूह द्वारा किए गए ऑनलाइन घोटाले के बहाने कई लोगों से बड़ी रकम ठगी गई थी। याचिकाकर्ताओं को ललन कुमार और उक्त ऑनलाइन धोखाधड़ी के अन्य पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जहां आरोपी व्यक्तियों को बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक में गिरफ्तार किया गया था। जब्तूी सूची के अवलोकन से पता चलता है कि सह-आरोपियों के कब्जे से विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएँ बरामद हुई हैं। सभी सह-आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपराध का विवरण और अपराध करने में उनकी भूमिका के बारे में इकबालिया बयान दिया है।

14. केस डायरी से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार द्वारा की गई पूछताछ और छापेमारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पाया गया था कि आईसीआईसीआई बैंक का उक्त बैंक खाता संख्या 334105500548 उपयोग में था और एनसीआरपी पोर्टल पर उसी बैंक खाते के खिलाफ कई अन्य शिकायतें भी दर्ज की गई थीं। सह-आरोपी मानस कुमार ने भी विभिन्न फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोलने में सहायता की थी और ऐसी कंपनियों के लेटर हेड उसके कब्जे से बरामद किए गए थे। सह-अभियुक्त विनीत कुमार कमीशन पर काम करता था और उक्त कंपनियों को नियंत्रित करता था। सह-अभियुक्त सूरज कुमार ही इस पूरे घोटाले का मुख्य सूत्रधार था और केस डायरी से स्पष्ट है कि वह सभी सह-अभियुक्तों के लगातार संपर्क में था। सह-अभियुक्त आनंद

कुमार अन्य सह-अभियुक्तों के माध्यम से सिम कार्ड की व्यवस्था करता था और चेकों के नकदीकरण का प्रबंधन करता था। बैंक मैनेजर के बयान से केस डायरी के पैराग्राफ 95 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आरोपी सुधांशु राज और प्रकाश चंद सिंह ने सीए और निदेशक के रूप में प्रतिरूपण किया और बैंक मैनेजर से मिलकर कई बैंक खाते खोले, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को सतर्क कर दिया गया। केस डायरी के पैराग्राफ 101 के अवलोकन से, कैपबोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एक चालू खाते के बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसका उपयोग भारी मात्रा में धन जमा करने और निकालने के लिए किया गया था। केस डायरी से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक यह योजना बनाई थी तथा इसे सुनियोजित तरीके से क्रियान्वित किया था। केस डायरी के पैराग्राफ-148 के अनुसार, चालू खाते के बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि कुल **80 लाख** शेष थे और 01.10.2022 से 31.10.2022 के बीच **64 लाख** निकाले गए, जबकि नवंबर, 2022 के महीने के दौरान लगभग **1.5 करोड़** का लेनदेन किया गया था। जनवरी, 2023 के लिए **5 करोड़** रुपये का लेनदेन किया गया और फरवरी, 2023 के लिए **2.5 करोड़** रुपये का लेनदेन किया गया। मई, 2023 तक बैंक खाते से नियमित रूप से इसी प्रकार की धनराशि का लेन-देन किया गया तथा केस डायरी के पैरा-149 में यह भी कहा गया कि लेन-देन सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया था। केस डायरी के पैराग्राफ 212 के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही पते पर सात कंपनियां पंजीकृत हैं और उनके निदेशक अजय कुमार और प्रकाश चंद्र सिंह (याचिकाकर्ता) हैं। वर्तमान मामलों के प्रति-हलफनामों में उल्लेख किया गया है कि ललन कुमार वर्तमान मामले में एक पीड़ित थे, जिनके पैसे कथित ऑनलाइन धोखाधड़ी से ठगे गए थे और याचिकाकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे लगातार मोबाइल फोन के माध्यम से एक-दूसरे से संपर्क कर रहे थे और कथित आपराधिक गतिविधि में सक्रिय भागीदार थे।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा) मामले में माना कि-

“आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं और जमानत के मामले में इनके प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। गहरी साजिशों वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें गंभीर अपराध माना जाना चाहिए जो समग्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। निस्संदेह, आर्थिक अपराधों का समग्र रूप से देश के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में कुछ निर्णयों का हवाला देने के लिए वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो ((2013) 7 एससीसी 439), निम्मगड्डा प्रसाद बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो ((2013) 7 एससीसी 466), गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय ((2015) 16 एससीसी 1), बिहार राज्य और अन्य बनाम अमित कुमार उर्फ बच्चा राय ((2017) 13 एससीसी 751)। इस न्यायालय ने आर्थिक अपराधों के संबंध में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 1987 में गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतमलजी पोरवाल एवं अन्य (1987) 2 एससीसी 364 के मामले में निम्नांकित टिप्पणी की थी:-

“5... यदि राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरा समुदाय होता है। भावनाओं को जगाने पर क्षण भर की गर्मी में हत्या की जा सकती है। आर्थिक अपराध शांत गणना और जानबूझकर व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, चाहे समुदाय पर इसका क्या प्रभाव पड़े। समुदाय के हितों की उपेक्षा केवल उस व्यवस्था में समुदाय के

विश्वास और भरोसे को खोने की कीमत पर ही प्रकट हो सकती है, जो बिना किसी आलोचना के भय के निष्पक्ष तरीके से न्याय प्रदान करती है, जो सफेदपोश अपराधों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना एक अनुज्ञेय दृष्टि से देखते हैं..."

16. साइबर धोखाधड़ी केवल ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से ही की जा सकती है, इसलिए इस प्रकार के अपराध करने के लिए व्यक्ति को इंटरनेट और कंप्यूटर में बहुत कुशल होना चाहिए। साइबर अपराध करने वाले लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं और इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में गहरी समझ रखते हैं, और इस वजह से साइबर अपराध के अपराधियों से निपटने और निर्दोष व्यक्तियों के बीच दोषी व्यक्ति को चिन्हित करने में पुलिस तंत्र का काम बहुत कठिन हो गया है।

17. साइबर अपराध भारत में एक बढ़ता हुआ खतरा है और केंद्र सरकार ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि साइबर अपराध के तहत लगभग 65,893 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 52,974 मामलों की तुलना में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत में 2021 की तुलना में 2022 में दर्ज साइबर अपराध में 24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, वर्तमान परिदृश्य में यह कई गुना बढ़ गई है। हाल के दिनों में पूरे देश में हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों की व्यापक तस्वीर को देखते हुए मैं इस तथ्य के साथ अपनी चिंता व्यक्त करता हूं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसके साथ साइबर धोखाधड़ी का प्रयास न किया गया हो। साइबर धोखाधड़ी करने वाले इतने उन्नत और परिष्कृत हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी दोषी व्यक्तियों को पकड़ने में असमर्थ हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार को योजना बनानी चाहिए कि ऐसे अपराध रोके जाएं। पुलिस अधिकारियों को ऐसी विस्तृत सीडीआर दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए जिससे

असली अपराधी तुरंत पकड़े जा सकें। आईपी लॉग विश्लेषण और समर्थित दस्तावेजों का भी इस्तेमाल करके एक पुख्ता मामला बनाया जाना चाहिए।

18. जांच एजेंसी के निष्कर्षों और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों तथा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता कथित अपराधों में शामिल हैं और उन्होंने उक्त अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के पक्ष में नहीं हूँ और याचिकाकर्ताओं की जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। अभियुक्तों को शीघ्र सुनवाई का अधिकार है, इसलिए विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं के मुकदमे को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर ले।

19. छः याचिकाकर्ताओं की जमानत की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।